समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)
<u>आदेश</u>

दिनांक 16-12-2013 से 31-12-2013 तक आयोजित राज्य समारोह अन्तर्गत सरकारी प्रारंभिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, अनुदानित माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय (+2 महाविद्यालय) एवं अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा (सहायता प्राप्त), अनुदानित प्रस्वीकृत संस्कृत (सहायता प्राप्त) प्रारंभिक, माध्यमिक विद्यालयों में प्रि-मैट्रिक छात्रवृति, पोशाक, साईकिल एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण विद्यालय स्तर पर शिविर आयोजित कर, किया जा रहा है। इस अवसर पर विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु जिला संयुक्त आदेश ज्ञापांक-2934/गो0, दिनांक-12-12-2013 द्वारा निर्गत किया जा चुका है, जिसके साथ वितरण कार्यक्रम की तिथिवार /पंचायतवार /प्रखंडवार विवरणी संलग्न की गयी है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा प्रेषित वितरण कार्यक्रम के दैनिक प्रतिवेदन के अनुसार स्थिति निम्नवत् पायी गयी :-

क्र0	वितरण की तिथि	पोशाक योजना अन्तर्गत राशि वितरित करने वाले विद्यालयों की सं0 (लक्ष्य)	पोशाक योजना अन्तर्गत राशि वितरित करने वाले विद्यालयों की सं0 (उपलब्धि)	छात्रवृति योजना अन्तर्गत राशि वितरित करने वाले विद्यालयों की सं0 (लक्ष्य)	छात्रवृति योजना अन्तर्गत राशि वितरित करने वाले विद्यालयों की सं0 (उपलब्धि)	साईकिल योजना अन्तर्गत राशि वितरित करने वाले विद्यालयों की सं0 (लक्ष्य)	साईकिल योजना अन्तर्गत राशि वितरित करने वाले विद्यालयों की सं0 (उपलब्धि)	प्रोत्साहन राशि वितरित करने वाले विद्यालयों की सं0 (लक्ष्य)	प्रोत्साहन राशि वितरित करने वाले विद्यालयों की सं0 (उपलब्धि)
1	16-12-13	142	96	142	26	14	0	14	0
2	17-12-13	228	174	228	03	12	04	12	01
3	18-12-13	222	156	222	05	05	02	05	01
4	20-12-13	224	196	224	04	04	02	04	01
5	21-12-13	207	194	207	12	12	06	12	01
6	23-12-13	155	143	155	02	02	01	02	01
7	24-12-13	127	117	127	02	10	07	10	02

उपरोक्त विवरणी से यह स्पष्ट होता है कि शत-प्रतिशत विद्यालयों में किसी भी योजना की राशि का वितरण नहीं हो पाया है। विभागीय निदेशानुसार दिनांक 16-12-2013 से 31-12-2013 तक ही वितरण कार्य सम्पादित किया जाना है।

अतः सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य /प्रधानाध्यापक /प्रभारी प्रधानाचार्य /प्रभारी प्रधानाध्यापक /प्रधान शिक्षक को आदेश दिया जाता है कि पूर्व निर्धारित तिथियों में वितरण कार्य नहीं करने वाले विद्यालय पुनः दिनांक 26-12-2013 से 31-12-2013 तक पूर्व की भांति शिविर आयोजित कर राशि वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि दिनांक 31-12-2013 के बाद किसी भी स्थिति में किसी भी विद्यालयों द्वारा राशि वितरण कार्य नहीं किया जायेगा।

वितरण कार्यक्रम के लिए पूर्व निर्गत संयुक्त आदेश के तहत् प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी /पुलिस बल अपने-अपने आवंटित प्रखंडों /पंचायतों में दिनांक 31-12-2013 तक प्रतिनियुक्त रहेंगे।

सभी प्रखंडों के लिए प्रतिनियुक्त प्रेक्षक /नोडल दण्डाधिकारी एवं जोनल दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी भी दिनांक 31-12-2013 तक अपने-अपने कार्य क्षेत्र में पूर्व की भांति आवंटित कार्य सम्पादित करेंगे।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा तथा जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि पूर्व निर्धारित तिथियों में वितरण नहीं करने वाले विद्यालय में राशि वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 3058/गो0, मधेपुरा, दिनांक 25/12/2013

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से संबंधित पुलिस पदाधिकारी /पुलिस बल को निदेशित करने की कृपा की जाए।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 3058/गो0, मधेपुरा, दिनांक 25/12/13

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मधेपुरा / अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /पुलिस उपाधीक्षक (मु0), मधेपुरा /जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा /परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, मधेपुरा /सभी पुलिस निरीक्षक, मधेपुरा/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /सभी प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी /सभी थानाध्यक्ष/सभी ओ0पी0 अध्यक्ष /वितन्तु पर्यवेक्षक, मधेपुरा /जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर एवं अन्य सभी प्रतिनियुक्त जोनल दण्डाधिकारी /सेक्टर पदाधिकारी/ दण्डाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे उक्त आदेश की प्रति सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं सभी संबंधितों को ससमय तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे तथा दिनांक 31-12-2013 तक शत-प्रतिशत विद्यालयों में राशि वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि दिनांक 31-12-2013 तक शत-प्रतिशत विद्यालयों में राशि वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, समाहरणालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भेजने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।